भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1394
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

मतदाता सूची में छूट गए नाम

1394 श्री जावेद अली खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली के अनेक निवासी, जिनके पास वैध मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या है और जो वर्ष 2002 से पूर्व और उसके पश्चात् प्रकाशित मतदाता सूचियों में भी पंजीकृत मतदाता रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के लिए वर्ष 2002 में प्रकाशित की गई मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या ऐसी विसंगतियों के कारण भ्रम, चिंता तथा वास्तविक मतदाताओं के संशोधित मतदाता सूचियों से बाहर हो जाने का जोखिम उत्पन्न हो रहा है ;

(ग) क्या दिल्ली में अनुपूरक मतदाता सूचियां अभी तक प्रकाशित नहीं की गई हैं; और

(घ) ऐसे मतदाताओं के नामों को गलत तरीके से हटाए जाने अथवा उन्हें मताधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए कौन-कौन से कदम प्रस्तावित किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : दिल्ली के मुख्य निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय ने तारीख 15.05.2026 के अपने प्रेस नोट में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण की अनुसूची प्रकाशित की है और अनुसूची के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के पश्चात् अक्तूबर, 2026 में अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी । चूंकि पुनरीक्षण प्रक्रिया अभी पूर्ण

नहीं हुई है, अतः, निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने या हटाने के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग ने, समय-समय पर, यह स्पष्ट किया है कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रत्येक चरण पर आंतरिक गुणवत्ता की जांच करता है । इसमें पर्यवेक्षण अधिकारियों के माध्यम से बीएलओ की गणना का प्रति-सत्यापन, हटाई गई प्रविष्टियों की यदा-कदा संपरीक्षा और राजनैतिक दलों तथा निर्वाचकों द्वारा संवीक्षा के लिए प्रारूप और अंतिम नामावलियों को सार्वजनिक प्रकटन करना सम्मिलित है । दावें और आपत्तियों की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों का परीक्षण किया जाता है और, जहां वे विधिमान्य पाई जाती हैं, वहां नामावलियों को अंतिम रूप देने से पूर्व समुचित कार्रवाई की जाती है ।
